भारतीय रैडक्रास समिति
हरियाणा राज्य शाखा

भारतीय रैड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा की प्रबंध समिति की बैठक माननीय राज्यपाल–एवं–अध्यक्ष, भारतीय रैड क्रॉस समिति, हरियाणा राज्य शाखा, चंडीगढ़ की अध्यक्षता मे दिनांक 30.06.2020 को प्रातः 12:30 बजे हरियाणा राज भवन में हुई थी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1	श्री सत्यदेव नारायण आर्य, माननीय राज्यपाल हरियाणा।	अध्यक्ष
2	श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्य मंत्री हरियाणा	उप–प्रधान
3	श्री राजेश खुल्लर, भा0प्र0से0 प्रधान सचिव मुख्यमंत्री, हरियाणा	विशेष आमंत्रित
4	श्रीमति सुषमा गुप्ता, उपाध्यक्ष, भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़।	सदस्य
5	श्री अखिलेश कुमार मानद् कोषाध्यक्ष, भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़	सदस्य
6	डा0 जी0 अनुपमा, भा0प्र0से0, माननीय राज्यपाल के सचिव।	आमंत्रित सदस्य
7	श्री भूपिंदर सिहं भा0प्र0से0, महानिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा।	सदस्य
8	श्री प्रदीप कुमार, भा0प्र0से0, निदेशक, प्राथमिक शिक्षा हरियाणा।	सदस्य
9	श्री रमेश चंदर बिधान भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा सिरसा	सदस्य
10	श्री पंकज, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा नूह	सदस्य
11	श्री सुजान सिंह, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा कैथल	सदस्य
12	श्री राम सरुप वर्मा भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा रोहतक	सदस्य
13	श्री शिव प्रसाद, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा चरखीदादरी	सदस्य
14	श्री मुकेश कुमार आहूजा, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा पचकूला	सदस्य
15	श्री अशोक कुमार शर्मा, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा अम्बाला	सदस्य
16	श्री जितेन्द्र कुमार, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा झज्जर	सदस्य
17	श्री श्याम लाल पूनिया, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा सोनीपत	सदस्य
18	श्री अमित खत्री, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा गूरुगाम	सदस्य
19	डॉ0 आदित्य दहिया, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा जीन्द	सदस्य
20	श्री मुकुल कुमार, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा यमुनानगर	सदस्य
21	श्री नरेश कुमार, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा पलवल	सदस्य
22	श्री यश पाल, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा फरीदाबाद	सदस्य
23	श्री यशेंद्र सिंह, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडक्रास शाखा रिवाड़ी	सदस्य

24	श्री नरहरि सिंह बांगर, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा फतेहाबाद	सदस्य
25	श्री धीरेंद्र खडगटा, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा कूरुक्षैत्र	सदस्य
26	डॉ प्रियंका सोनी, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा हिसार	सदस्य
27	श्री धर्मेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा पानीपत	सदस्य
28	श्री राम कुमार सिंह, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा महेन्दगढ	सदस्य
29	श्री अजय कुमार, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा भिवानी	सदस्य
30	श्री निशांत कुमार यादव, भा0प्र0से0, उपायुक्त एवं प्रधान, जिला रैडकास शाखा करनाल	सदस्य
31	डॉ0 डी0 एन0 बागरी, निदेशक महानिदेशक, स्वास्थय सेवा हरियाणा के प्रतिनिधि	सदस्य
32	श्री डी0आर0 शर्मा, महासचिव, भारतीय रैडकास समिति, हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़।	सदस्य सचिव
33	श्री अनिल कुमार जोशी, संयुक्त सचिव, भारतीय रैडकास समिति, हरियाणा राज्य शाखा चण्डीगढ़।	सदस्य
34	श्री अनिल नागर, संयुक्त निदेशक, महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा हरियाणा के प्रतिनिधि	सदस्य
35	श्री दिनेश सिंह यादव, अतिरिक्त महानिदेशक, माध्यमिक शिक्षा हरियाणा के प्रतिनिधि	सदस्य
36	श्री सुभाष गुप्ता, मकान न. 1194/24, जगदीश कलोनी, रोहतक।	सदस्य
37	श्री अश्वनी मित्तल, सी0ए0, मकान न. 311, सैक्टर 6 पंचकूला।	सदस्य

श्री डी0आर0शर्मा, महासचिव, भारतीय रैडकास समिति, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ़ ने बैठक के सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष की स्वीकृति उपरान्त माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष तथा माननीय मुख्यमन्त्री एवं उप–प्रधान, भारतीय रैडकास समिति, हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ़ द्वारा "Role and Response of Red Cross Volunteers during COVID-19" नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया। महासचिव, हरियाणा रैडकास द्वारा माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष की अनुमति से रैडकास एवं सैटजॉन की गतिविधियों पर आधारित वृतचित्र भी प्रस्तुत किया गया। इसके उपरान्त महासचिव, हरियाणा रैडकास ने माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष से सदन मे बैठक की कार्यसूची प्रस्तुत करने की अनुमति ली तथा बैठक की कार्यसूची को सदन मे प्रस्तुत किया गया जो की निम्नप्रकार से है:–

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
1	<u>30 अगस्त 2019 को हुई अंतिम बैठक की कार्यवृत (मिनट्स) की पुष्टिकरण।</u> 30 अगस्त 2019 को आयोजित भारतीय रैड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा की प्रबंध समिति की बैठक के कार्यवृत्त (मिनट्स) सभी सदस्यों को इस कार्यालय के पत्र संख्या 796/MC/H/2019/5214-5235 दिनांक 31.10.2019 के माध्यम इसे परिचालित किये गये थे जोकि सलंग्न है। परिशिष्ट–1 ...पुष्टि हेतु	सदन ने सर्वसम्मति से बैठक की कार्यवृत की पुष्टि की।

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
2	<u>30 अगस्त 2019 को भारतीय रैड क्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा की प्रबंध समिति की बैठक पर की गई कार्यवाही बारे।</u> **2(10) Expansion of the T.B. Project** महासचिव, हरियाणा रैडकास ने सदन को अवगत कराया कि टी0बी0 परियोजना का विस्तार कर दिया गया है। अब टी0बी0 परियोजना पंचकूला, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम में चलाई जा रही है। श्री अंशज सिह, भा0प्र0से0, उपायुक्त सोनीपत ने सदन को अवगत कराया कि वे टी0बी0 प्रोजैक्ट को स्वास्थय विभाग हरियाणा के साथ मिलकर चलाएगें जिसका सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया। सदन में विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नप्रस्ताव पारित किएः– 1. टी0बी0 परियोजना का विस्तार सभी जिलों में स्वास्थय विभाग हरियाणा के साथ मिलकर किया जाए। 2. स्वास्थय विभाग द्वारा चलाए जा रहे टी0बी0 परियोजना में रैडकास के स्वयंसेवकों को शामिल किया जाए ताकि टी0बी0 से ग्रस्त मरीज समय पर दवाई लेकर अपना पूरा ईलाज करवा सकें। सदन ने सर्वसम्मति से इस परियोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने बारे अपनी सहमति प्रकट की तथा तीन माह उपरान्त इसकी समीक्षा की जाएगी। **<u>Action Taken</u>** निर्णय अनुसार सभी जिला शाखाओं को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 796/MC/H/2019/ 5214-5235 दिनांक 31.10.2019 के अन्तर्गत कार्यवाही रिपोर्ट भेज दी गई थी। इसके उपरांत इस कार्यालय ने बजट भी प्रत्र क्रमांक 4384–4404 दिनांक 27.09.2019 के अन्तर्गत भेज दिया गया था। इसके पश्चात इस कार्यालय ने 28.11.2019, 08.01.2020 तथा 13.03.2020 को स्टेटस रिपोर्ट भेजने बारे पत्र लिखे। जिला शाखा चरखी–दादरी, झज्जर, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, नूंह, नारनौल, पानीपत, रिवाडी द्वारा इस पर अभी कार्य शुरू नहीं किया है।	महासचिव, भारतीय रैडकास समिति हरियाणा राज्य शाखा, चण्डीगढ़ ने उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडकास शाखा चरखी–दादरी, झज्जर, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, नूंह, नारनौल, पानीपत, रिवाडी से अनुरोध किया कि वे अपने जिले में टी0बी0 परियोजना को अतिशीघ्र शुरु करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस परियोजना के लिए अनुदान राशि हरियाणा राज्य रैडकास द्वारा प्रदान की जाती है। इस बारे सभी सम्बन्धित उपायुक्तों ने सदन को इस परियोजना को शीघ्र–अतिशीघ्र आरम्भ करने का आश्वासन दिया।

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
	2(5) <u>हरियाणा के निजी विश्वविद्यालयों में यूथ रेड क्रॉस विंग की स्थापना</u> प्रबंधकीय कमेटी में एजेंडा नं0 5 के अन्तर्गत यह जानकारी दी गई की हरियाणा की सभी निजी विश्वविद्यालयों में यूथ रेड क्रॉस विंग की स्थापना बारे अधिसूचना पत्र कमांक 10/3–2017 NCC(2) दिनांक 18-04-2019 निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा के कार्यालय से निजी विश्वविद्यालयों को प्रदान कर दी गई है। बैठक के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा से यह पूछा गया था की अधिसूचना जारी करने के बाद कितने निजी विश्वविद्यालयों में यूथ रेड क्रॉस विंग की स्थापना हो चुकी है। इस सन्दर्भ में इस कार्यालय द्वारा पुनः पत्र क्रमांक 30/वाई0 आर0सी0/एच0/ 2019 /3602 दिनांक 06.09.2019 इस बारे जानकारी मांगी गई तथा यह भी निवेदन किया गया की जिन निजी विश्वविद्यालयों द्वारा अभी तक यूथ रेड क्रॉस विंग की स्थापना नहीं की गई है उनको पुनः निर्देश जारी किए जाएं। निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा द्वारा निर्देश पत्र संख्या के0डब्लू010/3–2017 एन0सी0सी0 (2) दिनांक 27.09.2019 पुनः निर्देश जारी कर दिये गये हैं। माननीय राज्यपाल एंव अध्यक्ष को इस कार्यालय के नोट क्रमांक वाई0आर0 सी0/एच0/2019 /5075 दिनांक 24.10.2019 के अन्तर्गत यह सुचित कर दिया गया था की हरियाणा राज्य में 24 निजी विश्वविधालय हैं जिसमें से 11 निजी विश्वविधालयो ने यूथ रेड क्रॉस विंग की कमेटी अपने कैंपस में स्थापित कर ली है जोकि एमेटी यूनिवर्सिटी, मानेसर, गुरूग्राम, ए0पी0जे0 सत्या यूनिवर्सिटी, एन0आई0आई0एल0एम0 यूनिवर्सिटी, कैथल, बाबा मस्त नाथ यूनिवर्सिटी, रोहतक, एम0वी0एन0 यूनिवर्सिटी, पलवल, जगन नाथ यूनिवर्सिटी, गुरूग्राम, जी0डी0 गोईनका यूनिवर्सिटी, गुरूग्राम, के0आर0 मंगलम यूनिवर्सिटी, ग्रुरूग्राम, एस0आर0एम0 यूनिवर्सिटी, सोनीपत, मानव रचना यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद तथा ई0ई0एल0एम0 यूनिवर्सिटी, गुरूग्राम है 3 निजी विश्वविधालयों एम0एम0 यूनिवर्सिटी, मुलाना तथा एम0एम0 यूनिवर्सिटी, सद्दोपुर तथा अल–फलाह युनिवर्सिटी, फरीदाबाद ने यूथ रेड क्रॉस विंग स्थापित करने से मना कर दिया है तथा 10 निजी विश्वविधालयो जोकि ओ0पी0 जिंदल गलोबल युनिवर्सिटी, सोनीपत, नोर्थ कैम्पस युनिवर्सिटी, गुरूग्राम, अंसल युनिवर्सिटी, गुरूग्राम, श्री गुरू गोबिंद सिंह ट्राईसैंटरी युनिवर्सिटी, गुरूग्राम, अशोका युनिवर्सिटी, सोनीपत, पी0डी0एम0 युनिवर्सिटी, बहादुरगढ,	सदन ने नोट किया और यह पारित किया गया कि इस बारे आगामी कारवाई शीघ्र–अतिशीघ्र कर ली जाए।

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
	झज्जर, स्ट्राक्स युनिवर्सिटी, गुरूग्राम, वल्ड युनिवर्सिटी आफ डिजाइन, सोनीपत तथा ओम स्टर्लींग युनिवर्सिटी, हिसार द्वारा कार्यालय के पत्रों एंव दूरभाष से किये गए सम्पर्क के बावजूद कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। यह प्रस्तावित किया गया था की सभी आगामी वाई0आर0सी0 की सब कमेटी जिसकी अध्यक्षता निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हरियाणा द्वारा की जाती है में भी सभी निजी विश्वविधालयो के प्रतिनिधियों को भी विशेष सदस्य के तौर पर आमंत्रित कर लिया जावे तथा इस बारे स्थिति रिपोर्ट ले ली जावे। वाई0आर0सी0 सब कमेटी की बैठक इस वर्ष कर ली जाएगी।	
	2(9) <u>जिला पुनर्वास केंद्रों को कच्चे माल की खरीद के लिए सहायता अनुदान देने बारें।</u> दिनांक 30.08.2019 को हुई प्रबन्ध समिति की कार्यावाही रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र क्रमांक न0. 796/एम0सी0/एच0/2019/5214–5235 दिनांक 31–10–2019 के अंतर्गत आवश्यक कार्यावाही हेतू भेज दी गई थी। इससे पहले भी सामाजिक न्याय एंव आधिकारिता विभाग, हरियाणा की मल्टीडिसिप्लेनेरी मीटिंगस में जो आश्वासन दिया गया था उसके अनुसार इस कार्यालय ने 12.11.2018 को यह अनुरोध किया था की इस कार्यालय को 50 लाख रूपये की एकमुश्त ग्रांट प्रदान की जाए। उसके पश्चात 12.12.2018 को भी इसका स्मरण पत्र दिया गया। हरियाणा रैड क्रास की प्रबधकीय समिति में श्री नितिन यादव, भा0प्र0से0, हरियाणा सरकार के सचिव, कार्मिक प्रशिक्षण, सतर्कता एवं संसदीय कार्य विभाग से हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के प्रतिनिधि के तौर पर दिये गए आश्वासन के अनुसार इस कार्यालय ने प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, सामाजिक न्याय एंव आधिकारिता विभाग को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3569 दिनांक 06.09.2019 के अन्तर्गत 70 लाख रूपये के अनुदान के लिए आवेदन किया था। इसके पश्चात कुछ समय के अन्तराल में कई व्यक्तिगत रूप से बैठके भी हुई। परन्तु अभी तक विभाग ने इस कार्यालय को कोई अनुदान प्रदान नहीं किया।	महासचिव, हरियाणा रैडकास ने सदन को अवगत कराया कि सामाजिक न्याय एंव आधिकारिता विभाग, हरियाणा से जिला पुर्नवास केन्द्रों हेतु रैडकास को 50 लाख रुपए की एकमुश्त अनुदान राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस विषय पर निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा ने सदन को अवगत कराया कि सामाजिक न्याय एंव आधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा एकमुश्त अनुदान राशि देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। उन्होने यह भी बताया कि उनके कार्यालय में 12 जिला रैडकास शाखाओं से अनुदान के आवेदन आए थे, जिनमें से 9 जिलों को अनुदान राशि दे दी गई है और 3 जिलों की अनुदान राशि अभी लॉकडाउन के कारण जारी नहीं की गई है जो कि जल्दी ही जारी की दी जाएगी।

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
		निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा ने यह भी बताया कि अनुदान के आवेदन के लिए जो सूचना भारत सरकार द्वारा मांगी जाती है, उसके लिए आवेदकों हेतु 26.03.2020 को प्रशिक्षण रखवाया गया था, जो कि कोविड–19 के कारण नहीं हो सका। इस बारे श्री आर0के0खुल्लर, भा0प्र0से0, माननीय मुख्यमन्त्री हरियाणा के प्रधान सचिव ने सुझाव दिया कि प्रशिक्षण को वीडियो कान्फैसिंग के माध्यम से शीघ्र करा लिया जाए। मुख्यमन्त्री हरियाणा एवं उप–प्रधान, भारतीय रैडक्रास समिति हरियाणा राज्य शाखा ने निर्देश दिए कि सभी जिले अनुदान राशि के लिए समय पर व आवेदन के मानदण्डों अनुरुप आवेदन करना सुनिश्चित करें। सभी सम्बन्धित जिला उपायुक्तों ने समय पर मानदण्डों के अनुरुप अनुदान के केस भेजने बारे सदन को आश्वस्त किया।
	2(10) <u>जिला रैड क्रॉस शाखाओं की वर्ष **2017-18** और **2018-2019** की वित्तीय स्थिति बारे ।</u> श्री विजय सिह दहिया, भा0प्र0से0 माननीय राज्यपाल के सचिव ने जिला रैडक्रास शाखाओं की घाटे की वित्तिय स्थिति के बारे में पूछने पर महासचिव हरियाणा रैडक्रास ने अवगत कराया कि कई जिला रैडक्रास शाखाएं परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को रैडक्रास से वेतन दे दिया जाता है जबकि वेतन का भुगतान परियोजना के लिए मिलने वाले अनुदान राशि से करना होता है। परियोजनाओं के लिए अनुदान राशि के लिए या तो जिला रैडक्रास शाखाओं द्वारा आवेदन नहीं दिया जाता या आवेदन में त्रुटियां होने के कारण सम्बन्धित विभाग द्वारा ऐसे आवेदनों को रद्द कर दिया	सदन ने विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया: 1. जिला रैडक्रास शाखाओं में खाली पड़ी जमीन और निर्मित दुकाने व भवन उपायुक्त एवं प्रधान के सरंक्षण में होती है, वह हरियाणा राज्य रैडक्रास की स्वीकृति से फैसला ले सकते है। खाली पड़ी जमीनों को प्राईवेट पब्लिक पार्टनरशिप (पी0पी0ई0) के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाएं आरम्भ करने तथा आय के साधनों में वृद्धि करने का प्रस्ताव पारित किया गया।

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
	जाता है। सदन में विस्तृत विचार विमर्श के बाद निम्नप्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गएः– 2. घाटे में चल रही जिला रैडक्रास शाखाओं के कारणों का विस्त्त अध्ययन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इस कमेटी में महासचिव भारतीय रैडकास समिति, हरियाणा राज्य शाखा, दो जिलों के उपायुक्त एवं प्रधान तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हरियाणा से एक अधिकारी होगें जो तीन माह के अन्दर अपनी रिपोर्ट माननीय राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगें। ने आदेश दिए कि हरियाणा राज्य रैडक्रास द्वारा रैडक्रास/सैंटजॉन एम्बूलैंस में कार्यरत ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण तैयार किया जाए जो कार्य नहीं करते केवल वेतन ही लेते है, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कारवाई की जाए। श्री नितिन यादव, भा0प्र0से0, हरियाणा सरकार के सचिव, कार्मिक प्रशिक्षण, सतर्कता एवं संसदीय कार्य विभाग हरियाणा ने सुझाव दिया कि यदि जिलों में रैडक्रास की खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल रैडक्रास की गतिविधियों और परियोजनाओं के लिए किया जाए तो इससे जिला रैडकास शाखाओं की आय में वृद्धि होगी। माननीय राज्यपाल ने सभी उपायुक्तों एवं प्रधान जिला रैडक्रास शाखाओं को निर्देश दिए कि जिले में रैडक्रास की खाली पड़ी जमीन को रैडक्रास द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों एवं परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल करें तथा इन खाली पड़ी जमीनों पर विभिन्न परियोजनाएं चलाकर जिला रैडक्रास की वित्तिय स्थिति को सुधारने का काम करें। श्री मुकुल कुमार,भा0प्र0से0 उपायुक्त–एवं–प्रधान जिला रैडक्रास शाखा यमुनानगर ने सदन को अवगत कराया कि जिला यमुनानगर में रैडक्रास के पास 6 एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई थी जिसपर सरकार द्वारा एकआडिटोरियम बनाया जाना है। इस जमीन पर प्रस्तावित आडिटोरियम के लिए उन्होने भारतीय रैडक्रास समिति हरियाणा राज्य शाखा से अनुमति ले ली है। सदन में विचार–विमर्श उपरान्त यह प्रस्ताव पारित किया गया कि सभी जिला रैडक्रास शाखाएं रैडक्रास की खाली पड़ी जमीन का इस्तेमाल भारतीय रैडकास समिति हरियाणा राज्य शाखा से अनुमति लेकर	2. जिन जिला शाखाओं द्वारा दुकाने व भवन किराए पर दी गई है और जिनका अभी तक एग्रीमैन्ट नहीं किया गया, उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडकास शाखा ऐसी दुकानों तथा भवनों का एग्रीमैन्ट करना सुनिश्चित करें तथा जो दुकाने एग्रीमैन्ट के अनुसार किराए पर दे रखी है, उनके किराएदारी के एग्रीमैन्ट समयानुसार नवीनीकरण करने हेतू सुनिश्चित करें। 3. यह भी पारित किया गया कि जिन जिला रैडकास शाखाओं की वित्तिय स्थिति ठीक नहीं है उसको सुधारने के लिए सम्बन्धित जिले का उपायुक्त आय के साधनों में वृद्धि करने के लिए नई परियोजनाएं चलाएंगे। 4. यह भी पारित किया गया कि सभी जिला शाखाओं द्वारा जो भी परियोजनाएं भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अनुदान के अर्न्तगत चलाई जा रही है, वह समय पर अनुदान के लिए आवेदन करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि आवेदन अनुदान के मापदण्ड के अनुसार है। आवेदन के पश्चात सम्बन्धित विभाग से लगातार सम्पर्क भी बनाए रखें। किसी भी कोताही में जिला रैडकास शाखा के सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेवार होगें। 5. माननीय मुख्यमन्त्री एवं उप–प्रधान ने हरियाणा रैडकास मुख्यालय को यह निर्देश दिए कि जिला रैडकास शाखाओं में मितव्ययता तथा कर्मचारियों का सुव्यवस्थीकरण

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
	रैडक्रास एवं सैटजॉन की गतिविधियों/ परियोजनाओं के उत्थान के लिए करेंगे और इन संस्थाओं की वित्तिय स्थिति को सुदृढ़ करेगें। माननीय राज्यपाल हरियाणा ने निर्देश दिए कि तीन माह पश्चात इस विषय की भी समीक्षा की जाएगी। माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष, भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा **Action taken** दिनांक 30.08.2019 को हुई प्रबन्ध समिति की कार्यावाही रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र कमांक न0. 796/एम0सी0/एच0/2019/5214–5235 दिनांक 31–10–2019 के अंतर्गत आवश्यक कार्यावाही हेतू भेज दी गई थी। इसके पश्चात माननीय राज्यपाल एंव प्रधान ने जिला शाखा पंचकुला एंव अम्बाला के उपायुक्तों एंव प्रधानों तथा सामाजिक न्याय एंव आधिकारीता विभाग, हरियाणा के संयुक्त निदेशक को अपने आदेश 05.11.2019 के अन्तर्गत समिति के सदस्त नियुक्त किए गए थे। इसकी पहली बैठक 11.02.2020 को रखी गई थी जोकि स्थगित होने के पश्चात 17.02.2020 को पुननिर्धारित की गई थी वह भी बाद में अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई। अतः शिघ्र ही बैठक करने उपरांत कार्यवाही प्रस्तुत कर दी जाएगी।	(for reason of economy and rationalization of manpower) किया जाए तथा जिस पद की जरुरत नहीं है उसको Diminishing Cadre में रख दिया जाए। माननीय मुख्यमन्त्री एवं उप–प्रधान ने यह भी निर्देश दिए कि रैडकास अपने कायकमों में अधिक से अधिक स्वयंसेवक तथा गैरसरकारी संस्थाओं को सम्मिलित करें ताकि जनकल्याणकारी गतिविधियों को ओर अधिक प्रभावी ढंग से चलाया जा सके।
	2(12) <u>वर्ष 2017–2018 और 2018–2019 पंचायत निधि की स्थिति रिपोर्ट बारे ।</u> सदन ने सर्वसम्मति से यह प्रस्तावित किया कि जिला उपायुक्त पंचायत निधि फण्ड की राशि जिला रैडक्रास को दिलवाना सुनिश्चित करेंगे। **Action taken** अभी तक अम्बाला, भिवानी, चरखी–दादरी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरूग्राम, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, नूंह, महिन्दरगढ, पलवल, पंचकुला, रिवाडी तथा यमुनानगर को पंचायत शेयर प्राप्त नहीं हुआ है।	सदन में विचारविमर्श के उपरान्त यह तथ्य सामने आया कि पंचायत निधि फण्ड से जिला रैडकास शाखाओं को फिट शुल्क का प्रावधान है। माननीय मुख्यमन्त्री हरियाणा ने जिलावार उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला रैडकास शाखाओं से रैडकास के लिए पंचायत निधि से रैडकास को दिए जाने वाले फिट शुल्क बारे समीक्षा की तथा इस सन्दर्भ में माननीय मुख्यमन्त्री हरियाणा ने कहा कि सभी उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडकास शाखा अपने–अपने

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
		जिलों की पंचायतों से जिला रैडकास सोसायटी को फण्ड देने बारे अपील करें ताकि रैडकास की गतिविधियां सुचारु रुप से चलती रहे। इस सम्बन्ध में जिला उपायुक्तों ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे लगातार रैडकास को पंचायत फण्ड से फिट शुल्क देने बारे प्रयासरत है और जल्दी ही पंचायतों से यह फिट शुल्क प्राप्त कर लिया जाएगा।
	2(14)प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलने बारें । इस समय भिवानी में केवल 1 जन औषधि केन्द्र चलाया जा रहा है। यह कार्य दर्श शिक्षा एंव कल्याण समिति को 12.07.2019 आबटित किया गया था। यह देखा गया है कि इस संस्था ने अब तक केवल एक ही औषधी केन्द्र चलाया है जबकी संस्था को यह कार्य आबंटित हुए लगभग एक वर्श होने वाला है। इस बारे उक्त संस्था को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1638 दिनांक 18.06.2020 के द्वारा इन औषधी केन्द्रों को शिघ्रता से खोलने के आदेश दे दिये गए हैं। जिसमें एक मास की अवधि दी गई है अन्यथा इन केन्द्रों को खोलने के आदेशों को निरस्त कर दिया जाएगा।	महासचिव हरियाणा रैडकास ने सदन को अवगत कराया कि दर्श शिक्षा एंव कल्याण समिति का जनऔषधि केन्द्र खोलने का टैण्डर पास हुआ था तथा 12.07.2019 को हरियाणा रैडकास द्वारा दर्श शिक्षा एंव कल्याण समिति को इन केन्द्रो को खोलने बारे कहा गया था परन्तु अभी तक उपरोक्त समिति द्वारा भिवानी जिले को छोड़कर बाकि किसी भी जिले में जनऔषधि केन्द्र नहीं खोले गए। इस समिति को जनऔषधि केन्द्र खोलने के लिए इस कार्यालय के पत्र दिनांक 18.06.2020 के अनुसार एक मास की अवधि दी गई है जिसकी समाप्ति पर वाछिंत कार्य पूरा न करने पर केन्द्रों को खोलने के आदेशों को निरस्त कर दिया जाएगा। महासचिव ने यह भी बताया कि यदि कोई जिला जनऔषधि केन्द्र चलाना चाहता है, उस जिले को ब्युरो ऑफ फार्मेसी द्वारा 2.5 लाख का अनुदान दिया जाता है। इस सन्दर्भ में सभी उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडकास शाखाओं को इस कार्यालय की ओर से पत्र संख्या Project/PMB/JAK/1449-1458

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
		दिनांक 04.05.2018 द्वारा अवगत कराया जा चुका है। माननीय मुख्यमन्त्री हरियाणा एवं उप–प्रधान ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में अधिक से अधिक जनऔषधि केन्द्र खोले जाए। उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडकास शाखा फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र एवं रोहतक ने सुझाव दिया कि जन औषधि केन्द्रों को सामान्य अस्पतालों, पी0जी0आई0 रोहतक तथा अन्य उचित स्थलों पर खोला जा सकता है। सदन में विचारविमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि सभी जिलों के उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडकास शाखा अपने जिले में अधिक से अधिक जनऔषधि केन्द्र खोलेगें।
	2(15) (i) अन्तोदय सहायता योजना लागू करने हेतू इस बारे यह सूचित किया जाता है कि 9 जिलों में यह केंटीनस चलाई जा रही थी परंतु सर्विस प्रोवाईडर मैं0 दर्श एजुकेशन एंड वेएंड वेलफेयर सोसाइटी ने मु0 20/– रूपये प्रति डाईट के हिसाब से यह कैन्टीन चलाने में अपनी अस्मर्थता दर्शाई थी। इस कार्यालय ने टेंडर निकाले जिसमें मै0 CEE CEE रेस्टोरेंट द्वारा सबसे कम मु0 25/– रूपये का टेंडर मे रेट दिया था। उसी अनुसार इस कार्यालय ने लेबर कमिश्नर हरियाणा को अपने पत्र क्रमांक 7990 दिनांक 12.03.2020 में यह लिखा था कि एक भोजन मु0 20/– रूपये में देने में यह कार्यालय अस्मर्थ है और यह अनुरोध किया गया था कि मु0 20/– रूपये से बढ़ा कर 25/– रूपये कर दिया जाए जिसमें 15/– रूपये लेबर डिपार्टमेंट देगा और 10/– उपभोक्ता से लिया जाएगा। इस बारे श्रम विभाग से कोइ भी जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।	माननीय मुख्यमन्त्री हरियाणा ने निर्देश दिए कि श्रम विभाग हरियाणा से बातचीत करके हरियाणा रैडकास द्वारा इस मुद्दे का समाधान किया जाए। तथा उन्होने यह भी सुझाव दिया कि यह कार्य हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (HSAMB) की तर्ज पर सवयं सहायता समूह के माध्यम से करवाया जाए ताकि महिलाओं को रोजगार मिल सके। महासचिव हरियाणा रैडकास ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे इस विषय के समाधान हेतु वह श्रम विभाग हरियाणा से वार्तालाप करेगें।
3	<u>नोवल कोरोना वायरस कोविड–19 महामारी के चलते लगाए गए लाकडाउन के दौरान की गई गतिविधियां।</u> नोवल कोरोना वायरस कोविड–19 महामारी के चलते लगाए गए लाकडाउन के दौरान की भारतीय रैड क्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा द्वारा की द्वारा जिला शाखाओं के माध्यम से विभिन्न मानवतावादी गतिविधियां चलाई गई जिसकी रिपोर्ट संलग्न है। परिशिष्ट–3 ...सूचनार्थ	सदन ने नोट किया एवं गतिविधियों की सराहना की।

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
4	<u>भारतीय रैड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा की वर्ष 2019–20 की गतिविधि रिपोर्ट।</u> वर्ष 2019–20 की भारतीय रैड क्रॉस समिति हरियाणा राज्य शाखा और उसके जिला रैड क्रॉस शाखाओं की संक्षिप्त गतिविधि रिपोर्टपरिशिष्ट–4 पर संलग्न है। ...सूचनार्थ	सदन ने नोट किया एवं गतिविधियों की सराहना की।
5	<u>भारतीय रैड क्रॉस समिति एंव सैन्ट जान एम्बूलैंस (भारत) की हरियाणा राज्य शाखा में वाईस चेयरमेंन की नियुक्ति बारे।</u> डा0 मुकेश अग्रवाल के वाईस चेयरमेंन के रूप में कार्यकाल पूर्ण होने उपरान्त माननीय राज्यपाल एंव प्रधान, भारतीय रैड क्रॉस समिति एंव सैन्ट जान एम्बूलैंस (भारत) की हरियाणा राज्य शाखा के आदेश क्रमांक एच0आर0बी0आर0ए0/2029–2033 दिनांक 17 मार्च, 2020 द्वारा श्रीमति सुषमा गुप्ता, निवासी मकान नं0 632, सैक्टर–21 ए, फरीदाबाद को भारतीय रैड क्रॉस समिति एंव सैन्ट जान एम्बूलैंस (भारत) की हरियाणा राज्य शाखा में वाईस चेयरमेंन के रूप में तीन वर्षों के लिए नियुक्त किया है। परिशिष्ट–5 सूचना एंव पुष्टि हेतू	सदन ने नोट किया एवं पुष्टि की।
6	<u>भारतीय रैड क्रॉस समिति एंव सैन्ट जान एम्बूलैंस (भारत) की हरियाणा राज्य शाखा में मानद कोषाध्यक्ष की नियुक्ति बारे।</u> श्री ज्ञान चंद गुप्ता, विधायक, पंचकुला के मानद कोषाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूर्ण होने उपरान्त माननीय राज्यपाल एंव प्रधान, भारतीय रैड क्रॉस समिति एंव सैन्ट जान एम्बूलैंस (भारत) की हरियाणा राज्य शाखा के आदेश दिनांक 02 जून, 2020 द्वारा श्री अखिलेश कुमार, निवासी पहली मजिंल, बी/380, न्यू फ्रेडस कालोनी, नई दिल्ली–110025 कोभारतीय रैड क्रॉस समिति एंव सैन्ट जान एम्बूलैंस (भारत) की हरियाणा राज्य शाखा में मानद कोषाध्यक्ष के रूप में तीन वर्षों के लिए नियुक्त किया है। परिशिष्ट–6 सूचना एंव पुष्टि हेतू	सदन में विचार–विमर्श किया गया कि चूंकि श्री अखिलेश कुमार माननीय राज्यपाल एवं प्रधान, भारतीय रैड कॉस समिति एवं सैन्ट जान एम्बूलैंस (भारत), हरियाणा राज्य शाखा के मानद् सलाहकार के पद पर कार्यरत हैं एवं संस्था के प्रधान के सलाहकार के पद पर कार्यरत व्यक्ति को ही संस्था के कोषाध्यक्ष के पद पर भी रहना उचित प्रतित नहीं होता। अतः संस्था की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए किसी अन्य योग्य

		व्यक्ति की नियुक्ति हेतु विचार किया जाए। उपरोक्त से सहमत होते हुए श्री अखिलेश कुमार जी ने मानद् कोषाध्यक्ष, भारतीय रैड कॉस समिति एवं सैन्ट जान एम्बूलैंस (भारत), हरियाणा राज्य शाखा के पद से स्वयं त्यागपत्र देने बारे सहमति जताई। सदन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि मानद् कोषाध्यक्ष के पद के लिए किसी अन्य योग्य व्यक्ति को मनोनीत करने हेतु माननीय राज्यपाल एवं प्रधान, भारतीय रैड कॉस समिति एवं सैन्ट जान एम्बूलैंस (भारत), हरियाणा राज्य शाखा, को अधिकृत किया गया।
7	<u>हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली परियोजना बारें</u> यह प्रस्तुत किया जाता है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली परियोजना बारें मुख्य सचिव की अध्यक्षता और अन्य सदस्यों की सदस्यता मे स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया था । जिसमे राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा के पत्र कमांक नम्बर STR-1-2001 दिनांक 20.07.2001 के द्वारा हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली (HARIS)परियोजना की 23.10.2000 को शुरू की गई थी। इस पत्र मे हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली परियोजना मे प्राप्त शुल्क के संदर्भ मे निम्न लिखित नियम बनाये गये थे जोकि निम्नलिखित है। 1. एकत्रित किए गए सेवा शुल्क का 10 प्रतिशत हिस्सा राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा को परियोजना के रखरखाव और देखरेख के लिये दिया जाता है । 2. एकत्रित किए गए सेवा शुल्क का 40 प्रतिशत हिस्सा जिला रैड कास सोसाइटी के पास परियोजना मे परिश्रमिक के रूप में रहता है।	सदन में सर्वसम्मति से यह पारित किया गया कि हरियाणा रैडकास इस सम्बन्ध में वित्तायुक्त, राजस्व एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एंव आपदा प्रबंधन विभाग को इस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए अनुरोध करें।

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
	3. एकत्रित किए गए सेवा शुल्क का 50 प्रतिशतहिस्सा आईटी सोसाइटी को दिन–प्रतिदिन के रखरखाव और संचालन लागत को पूरा करने के लिए दिया जाता है। इस संदर्भ में अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा के पत्र क्रमांक नम्बर 655-STR-5-2015/1896 दिनांक 19.02.2015 के द्वारा जिला रैड क्रास सोसाइटी का 40 प्रतिशत हिस्सा देने बारे निर्देश भी किये गये थे। (परिशिष्ट–7) दिनांक 20.01.2018 को इस कार्यालय की प्रबंध समिति की बैठक माननीय राज्यपाल–एवं–अध्यक्ष, ने सभी उपायुक्त को तीन सप्ताह मे जिला रैड कास सोसाइटी का 40 प्रतिशत हिस्सा देने तथा स्थिति रिपोर्ट देने बारे निर्देश भी दिये थे। परन्तु जिला शाखाओं को 2019–20 में जिला शाखा अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुडगांव, हिसार, झज्जर, जींद, कैथल, करनाल, कुरूक्षेत्र, नारनौल, पंचकुला तथा रिवाडी को उनका 40 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त नही हुआ है। 30.8.2019 की भारतीय रैडकास समिति की कार्याकारणी की बैठक के बिन्दु न0. 13 में श्री नितिन यादव, भा0प्र0से0, हरियाणा सरकार के सचिव, कार्मिक प्रशिक्षण, सतर्कता एवं संसदीय कार्य विभाग ने सदन को यह अवगत कराया गया कि इस विषय में उनकी वार्तालाप श्रीमति नवराज सन्धू, भा0प्र0से0, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग हरियाणा से हो चुकी है। उन्होने आश्वस्त किया कि हरियाणा पंजीकरण सूचना प्रणाली परियोजना का फण्ड अतिशीघ्र सभी जिला रैडक्रास शाखाओं को मिलना शुरु हो जाएगा। इसके उपरांत वित्तायुक्त, राजस्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एंव आपदा प्रबंधन विभाग ने परिपत्र क्रमांक 257–एस0टी0आर0–5–2020/875 दिनांक 29.01.2020 जारी किया है जिसमें हैरिस से प्राप्त राशि को पुनः निर्दिष्ट करके 30 प्रतिशत हिस्सा एफ0सी0आर0 कार्यालय के लिए रखा है तथा 70 प्रतिशत हिस्सा	

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
	डिस्ट्रीक्ट ईनफारमेंशन टेकनालाजी डिपार्टमेंट के लिए रख दिया है। जिसके अनुसार रैड क्रास का जो 40 प्रतिशत हिस्सा जो पहले रखा गया था वह समाप्त कर दिया गया है तदानुसार डिटस सोसाईटी ने रैड क्रास का हिस्सा देना बंद कर दिया है। ऐसा करने से जिला शाखाओं पर वित्तिय संकट आ गया है और जो जनकल्याणकारी गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाए रखने में कठिनाई का सामना करना पड रहा है। (परिशिष्ट–8) वित्तायुक्त, राजस्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एंव आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 06.01.2011 को पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0पी0 18396/2007 के अन्तर्गत एक शपत पत्र दे रखा है जिसमें यह लिखा है कि 40 प्रतिशत हैरिस शेयर रैड क्रास के लिए निर्धारित किया गया है और जोकि अनुदान के रूप में रैड क्रास को जारी रहेगा और यह भी लिखा गया है कि यदि इस निर्धारित हिस्से में से कुछ **DITS** सोसाईटी द्वारा व्यय कर ली गई है तो वह रैड क्रास को रिफंड करेगा। (परिशिष्ट–9) अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि वित्तायुक्त, राजस्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, राजस्व एंव आपदा प्रबंधन विभाग को इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए निवेदन किया जाए की वे माननीय पंजाब एंव हरियाणा उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0पी0 18396/2007 के अन्तर्गत दिए गए शपथ पत्र तथा उनके पत्र क्रमांक 655–एस0टी0आर0–5–2015/1896 दिनांक 19.02.2015 के निर्णय के अनुसार जिला रैड क्रास सोसाईटी का 40 प्रतिशत हिस्सा देने बारे बरकरार रखें। ताकि जिला रैड क्रास शाखाओं की गतिविधियां पहले की तरह सुचारू रूप से चलती रहे। विचारार्थ एवम् अनुमोनार्थ प्रस्तुत है ।	

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
8	जिला रैडक्रास शाखाओं मे अनुदान से चल रही परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारीयों को परियोजनाओं के नियमानुसार वेतन देकर रैड क्रास की वित्तीय स्थिति सुधारने बारें । यह प्रस्तुत किया जाता है कि हरियाणा में जिला रैडक्रास शाखाओं में हरियाणा सरकार तथा भारत सरकार के अनुदान के अन्तर्गत बहुत सी परियोजनाऐं चलाई जा रही है। जिस समय यह परियोजनाऐं लागू की गई थी, उस समय परियोजना के अनुदान के आदर्शो अनुसार कर्मचारी नियुक्त किये गये थे और उनका वेतनमान भी परियोजना के अनुदान आदर्शो के अनुसार तय किये गये थे। समय–समय इन परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन तब के प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर परियोजनाओं के अनुदान आदर्शो के विरूद्व वेतन वृद्वि की गई और यहॉ तक की कई कर्मचारियों को रेगूलर वेतनमान भी दे दिया गया। पहले इन परियोजनाओं को सूचारू रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती थी जोकि 2011 से बंद कर दी गई है इसलिय इन परियोजनाओं को सुचारू रखने के लिए जिला शाखा को अपने रैडक्रास के फण्डस व्यय करने पड़ते है, जिसके कारण काफी रैडक्रास शाखाऐं अपने कर्मचारियों को कई–कई महिनों से वेतन भी नहीं दे पा रही है । इस कार्यालय ने उनकी वित्तीय स्थिति के बारें में भी सूचना मांगी है । वित्तीय स्थित सूचना अनुसार ऐसा कुछ जिला रैडक्रास शाखाऐं केवल निर्वाह मात्र स्थिति में रह गई है । यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जिला शाखाओं के सेवा नियम 27.02.2017 को लागू किये गये थे जिसके रूल न0 31 में आपके संज्ञान हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है । “All staff employed in different project of Red Cross at District Headquarter under the grant-in-aid from Haryana Government or Govt. of India. New Delhi, shall be Governed by Rules of services of employees as per norms of the project	सदन में विचार विमर्श उपरान्त यह पारित किया गया कि जिला रैडकास शाखाओं में जो भी कर्मचारी भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान की परियोजनाओं में कार्यरत है, उनको वेतन/मानदेय परियोजनाओं के अनुरुप ही दिया जाए तथा परियोजनाओं के जिन कर्मचारियों को रैडकास में परियोजनाओं के मानदंडों के अतिरिक्त वेतन दिया जा रहा है, उसे तुरन्त प्रभाव से रोक दिया जाए तथा उन सभी कर्मचारियों को परियोजनाओं में उनके पद के अनुरुप निर्धारित वेतन दिया जाए और जो भी अधिक वेतन ऐसे कर्मचारियों को रैडकास से दिया गया है, उसकी पिछली भरपाई की कारवाई अमल में लाई जाए ।

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
	scheme. Hence it is clarified that their services shall continue as long as grant exists. When grant is stopped/reduced/withheld by State/Centre Government, the service of the employees shall be liable to be discontinued from services accordingly." उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह प्रस्ताव किया जाता है कि सभी जिला शाखाओं को निर्देश दियें जाये कि वे जिला शाखाओं के सेवा नियम न0 31 के तहत आवश्यक कार्यवाही करें तथा परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अनुदान के नियमों के अनरूप वेतन प्रदान किया जाये। सूचना एवम् अनुमोनार्थ प्रस्तुत है ।	
9	भारतीय रैड क्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा के राज्य मुख्यालय बनाने एंव जनकल्याणकारी गतिविधियां चलाने के लिए कम से कम 1.5 एकड ज़मीन के आबंटन हेतू।	
	यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय रैड क्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा का कार्यालय इस समय पंजाब रैड क्रास भवन, सैक्टर–16 में स्थित है। वर्तमान में हरियाणा राज्य रैड क्रास कार्यालय पंजाब रैड क्रास का किराएदार है तथा हरियाणा राज्य रैड क्रास के कार्यालय के लिए कोई स्थान नहीं है। सैक्टर 9 चण्डीगढ़ में आवसीय परिसर है जहां पर हम कानूनी तौर पर कार्यालय नहीं चला सकते। हरियाणा राज्य रैड क्रास की गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहीं हैं जिसके लिए हमें उपयुक्त स्थान की सख्त ज़रूरत है इसी आश्य से इस कार्यालय ने माननीय राज्यपाल महोदय जी की स्वीकृति लेकर हुडडा पंचकुला में कार्यालय के लिए उपयुक्त आबंटन बारे आवेदन दिया था। जिसके उपरांत इस कार्यालय को 798 स्केयर मीटर का संस्थागत प्लाट आई–20, सैक्टर 12ए पंचकुला में आबंटित किया गया था। इस कार्यालय ने निर्धारित की गई राशि जोकि 22000 रूपये प्रति स्केयर मीटर के हिसाब से 1.79 करोड रूपये की राशि 22.05. 2017 को जमा करवा दी गई थी। उक्त आंबटित की गई भूमि का जोनिंग प्लान जब इस कार्यालय को प्राप्त हुआ तो आबंटित की गई भूमि 225 स्केयर मीटर कम पाई गई व कार्यालय की आवश्यकताओं को देखते हुए उक्त आबंटन को निरस्त	सदन ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
	करने का निर्णय लिया गया और माननीय राज्यपाल एंव प्रधान के आदेश दिनांक 03.04.2019 के अनुसार मुख्य प्रशासक, हुडडा, पंचकुला को इस बारे पत्र क्रमांक IRCS/H/2019/1749दिनांक 31.05.2019 लिखा दिया गया और यह आग्रह किया गया की उक्त आबंटन को निरस्तर करके कम से कम 1.5 एकड स्थान हरियाणा राज्य रैड क्रास के राज्य मुख्यालय बनाने के लिए दिया जावे। इसी सन्दर्भ में माननीय राज्यपाल जी के समक्ष दिनांक 11.07.2019 को एक बैठक भी हुई जिसमें श्री डी0सुरेश, भा0प्र0से0, मुख्य प्रशासक, हुडडा, पंचकुला भी उपस्थित थे। जिस पर अभी तक हुडडा कार्यालय, पंचकुला द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अतःयह प्रस्ताव किया जाता है कि मुख्य प्रसाशक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को अनुरोध किया जाए की वाछिंत 1.5 एकड स्थान हरियाणा राज्य रैड क्रास को जल्दी से जल्दी आंबटित किया जाए।	
10	<u>जिला रैड क्रॉस शाखाओं की वर्ष 2018–19की आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में।</u> माननीय राज्यपाल–एवं–अध्यक्ष, भारतीय रैड क्रास समिति हरियाणा राज्य शाखा के दिनांक 07–09–2017 के आदेशानुसार श्री आर.सी. शर्मा, पूर्व वरिष्ठ लेखा अधिकारी एवं प्रचार अधिकारी और श्री आर.के. जसवाल, लेखा अधिकारी ने इस कार्यालय की सभी जिला रैड क्रास शाखाओं के खातों का आंतरिक लेखा परिक्षण किया गया। लेखा परिक्षण रिपोर्ट देखने के बाद जिला रैड क्रास शाखाओं के लेखा कामकाज में कुछ आपत्तियों का पता चला है। लेखा परिक्षण की रिपोर्ट सभी उपायुक्त–एवम–प्रधान, जिला रैड क्रॉस शाखाओ को अपने स्तर पर सभी लेखा आपत्तियों / प्रश्नों को तुरंत प्रभाव से दूर/समाधन के लिए इस कार्यालय के पत्र संख्या IRCS/Adm./2019-20/7916-7937 दिनांक 11.03.2020 भेज दी गई है। ...सूचनार्थ	माननीय मुख्यमंत्री एवं उप–प्रधान द्वारा लेखा परिक्षा की प्रक्रिया बारे भी पूछा गया जिस पर महासचिव द्वारा यह बताया की राज्य तथा जिला शाखाओं का संविधान माननीय राष्ट्रपति एंव प्रधान, रैड क्रास समिति, राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा पारित करके सभी राज्य रैड क्रास शाखाओं को लागू करने के लिए भेजा गया था। इस संविधान के अनुसार राज्य तथा जिला शाखाओं का आडिट चार्टिड एकाउंटेंट द्वारा किया जाता है, जो कि कानूनी समपरीक्षक(Statutory Auditors) के रुप में नियुक्त किए जाते है। इससे पहले ए0जी0 हरियाणा से आडिट किया जाता था। परन्तु 28 नवम्बर 2016 में हरियाणा रैडकास का संविधान बनने के पश्चात इस बारे एडवोकेट जनरल हरियाणा से सलाह ली गई थी कि क्या रैडकास ए0जी0 आडिट हरियाणा के अधिकार क्षेत्र

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
		में आता है या नहीं। उन्होने 22.06.2017 को दी गई सलाह में यह लिखा है कि रैडकास का संविधान बनने के पश्चात रैडकास हरियाणा ए0जी0 आडिट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। 07.09.2017 को माननीय राज्यपाल हरियाणा ने यह ए0जी0 आडिट की सलाह की स्वीकृति दे दी। तदानुसार हरियाणा रैडकास तथा जिला रैडकास शाखाओं का आडिट संस्था के इसके साथ ही जिला शाखाओं का आडिट कानूनी समपरीक्षक (Statutory Auditors) द्वारा किया जाता है तथा राज्य शाखा के लेखा परिक्षकों की टीमद्वारा भी आंतरिक आडिट किया जाता है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री एवं उप–प्रधान ने सुझाव दिया कि संस्था का Statutory Audit किया जाए। महासचिव हरियाणा रैडकास ने सदन को अवगत कराया कि यह वर्तमान संविधान में संशोधन का विषय है जो कि भारतीय रैडकास समिति राष्ट्रीय मुख्यालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अतः इस बारे भारतीय रैडकास समिति राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली से अनुरोध कर लिया जाएगा।
11	<u>वित्तिय उप–समिति के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।</u> भारतीय रैड क्रॉस समिति, हरियाणा राज्य शाखा की वित्तिय समिति की बैठक दिनांक18.06.2020 के कार्यवृत्त संलग्न है ।परिशिष्ट–10 पुष्टि हेतू	सदन ने सर्वसम्मति से वित्तिय उप–समिति के कार्यवृत की पुष्टि की।

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
12	अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।	सदन में विचार–विमर्श के दौरान कुछ जिला रैडकॉस शाखाओं के प्रधानों एवं उपायुक्तों द्वारा निम्नलिखित बिंदु उठाए गए :– 1. महासचिव, राज्य शाखा द्वारा जिला प्रधानों एवं उपायुक्तों के साथ समन्वय न होने बारे। इस बारे महासचिव हरियाणा रैडकास ने सदन को यह अवगत कराया कि जिला रैडक्रास शाखा से सम्बन्धित हर कार्य जिला सचिव से बातचीत करके कर लिया जाता है। भविष्य में उपायुक्तों के साथ समन्वय कर लिया जाएगा। 2. जिला सैंट जॉन शाखाओं में जिला प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति हेतु स्पष्ट व युक्तिसंगत सेवा नियमों के न होने बारे। इस बारे में महासचिव हरियाणा रैडक्रास ने सदन को यह अवगत कराया कि जिला प्रशिक्षण अधिकारियों की नियुक्ति जिला शाखाओं के सेवानियमों के अनुसार उपायुक्त एवं प्रधान जिला सैटजॉन केन्द्र की अध्यक्षता में चयनसमिति द्वारा की जाती है। 3. माननीय मुख्यमन्त्री एवं उप–प्रधान द्वारा महासचिव हरियाणा रैडकास के रिश्तेदारों व पुत्र की नियुक्तियों के बारे में पूछने परः– इस पर श्री डी0आर0 शर्मा, महासचिव ने सदन को अवगत कराया कि जिला रैडक्रास शाखाओं में नियुक्ति हेतु उपायुक्त एवं प्रधान सक्षम अधिकारी होते थे तथा जो नियुक्तियां हुई उसमें श्री शकंरलाल (भाई) 26 वर्ष पहले, श्री पवन कुमार (साला) 16 वर्ष पहले, श्री चन्द्रशेखर (साढू) 12 वर्ष पहले तथा श्री अरविन्द कुमार (भान्जा) 8 वर्ष पहले नियुक्ति उपायुक्त एवं प्रधान द्वारा की गई थी।

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
		उन्होने सदन को यह भी अवगत कराया कि उनके पुत्र श्री ईशांक कौशिक की नियुक्ति वर्ष 2017 में जिला प्रशि़क्षण अधिकारी, फरीदाबाद के पद पर सेवानियमों के अनुसार जिला स्तर पर गठित कमेटी द्वारा की गई थी । इस पद को जिला स्तर पर उपायुक्त एवं प्रधान जिला सैंटजॉन केन्द्र फरीदाबाद द्वारा अखबार में विज्ञापन देकर एवं आवेदको का साक्षात्कार व विडियोग्राफी करके उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा चयनित किया गया। इस चयन समिति में मै सदस्य नहीं था। उपायुक्त एवं प्रधान जिला सैंटजॉन केन्द्र फरीदाबाद ने यह प्रश्न किया कि श्री ईशाक कौशिक जब मानव रचना विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था तो उसका अनुभव कैसे शामिल किया जा सकता है। इस पर श्री डी0आर0शर्मा महासचिव हरियाणा रैडकास ने बताया कि प्राथमिक सहायता एवं गृहपरिचर्या का प्रवक्ता बनने के लिए प्राथमिक सहायता/ गृहपरिचर्या का मैडिलियन प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसके लिए सैंटजॉन एम्बूलैंस(भारत) राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली द्वारा कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। प्राथमिक सहायता/ गृहपरिचर्या प्रवक्ता बनने के लिए प्राथमिक सहायता प्रवक्ता प्रशिक्षण शिविर में उतीर्ण होने के बाद प्रवक्ता प्रमाण पत्र सैंटजॉन एम्बूलैंस(भारत) राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा जारी किया जाता है। प्राथमिक सहायता/गृह परिचर्या में प्रशिक्षित प्रवक्ता ही इन विषयों में प्रशिक्षण देने के लिए सैंटजॉन एम्बूलैंस(भारत) राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा अधिकृत होते है।

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
		श्री ईशांक कौशिक द्वारा हरियाणा राज्य केन्द्र द्वारा लगाए गए प्राथमिक सहायता/ गृहपरिचर्या प्रवक्ता प्रशिक्षण शिविर दिनांक 24 से 30 नवम्बर 2012 हरिद्वार में उतीर्ण हो गए थे और इनका प्रवक्ता प्रमाण पत्र राष्ट्रीय मुख्यालय द्वारा दिनांक 17.04.2013 को जारी कर दिया गया था। 4. उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडकास शाखा रिवाड़ी द्वारा महासचिव हरियाणा रैडकास द्वारा अपने सगे साले श्री पवन कुमार जो वर्तमान में जिला रैड कॉस सोसाइटी, झज्जर में डी0टी0ओ0 के पद पर कार्यरत है को जिला रैड कॉस सोसाइटी, रेवाडी की दुकान नं0.11–ए को नियमों के विरूद्ध शौचालय व सीढियों हेतु रखी गई जगह पर बनाकर अलॉट करने बारेः– उपायुक्त एंव प्रधान, जिला रैड क्रास शाखा, रिवाडी द्वारा सदन को यह सूचित किया गया कि जिला रैड क्रास समिति, रिवाडी की कुछ दुकाने हैं जिनमें से एक दुकान नं0 11ए है उसका आंबटन नियमानुसार नहीं किया गया था जिस वजह से उक्त दुकान का आबंटन रद्द कर दिया गया था। इसके उपरांत उस दुकान के किराएदार ने माननीय पजांब व हरियाणा उच्च न्यायालय में यचिका दायर कर दी गई जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आबंटन रद्द करने पर स्टे दे दी गई, जोकि मामला अभी उच्च न्यायालय में विचारधीन है। सदन को श्री डी0आर0 शर्मा, महासचिव द्वारा अवगत कराया गया कि दुकान न0 11 ए का आबंटन तत्कालीन उपायुक्त एवं प्रधान द्वारा किया गया था। उन्होने यह भी बताया कि इस बारे वर्ष 2005

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
		में तत्कालीन अतिरिक्त उपायुक्त रिवाड़ी द्वारा जांच की गई तथा बिजिलैंस जांच भी की गई तथा विजिलेस विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह लिखा कि श्री धांसी राम शर्मा के खिलाफ कोई साक्ष्य सफा मिल नही पाये है। उन्होने सदन को यह भी अवगत कराया कि जब वर्ष 2005 में जॉच विजिलेस विभाग को दी गई उसी समय दुकान न0. 11 ए की फाईल को भी जिला रैडकास सोसायटी, रेवाडी द्वारा गायब कर दिया गया जो कि आज भी गायब है। तब से यह मामला बार–बार उठाया जा रहा है। 4. माननीय मुख्यमन्त्री एवं उप–प्रधान द्वारा श्री महेश गुप्ता पर भारी राशि के गबन के आरोपों में बचाव करना व जिला प्रधानों को उक्त हेतु अधिवक्ताओं को नियुक्त न करने देने बारेः– इस बारे महासचिव हरियाणा रैडकास ने बताया कि इसके गबन के बारे में इस कार्यालय ने कड़े कदम उठाए है और उसको कहीं से भी कोई बचाव नहीं किया गया। श्री महेश गुप्ता पर कारवाई करने के लिए माननीय राज्यपाल के सचिव के कार्यालय से भी संबधित उपायुक्त एंव प्रधान, को भी पत्र लिखा गया है।
		5. <u>जिला प्रधानों को अधिवक्ताओं को नियुक्त न करने देने बारेः</u> उपायुक्त एंव प्रधान, जिला रैड क्रास शाखा, झज्जर ने सदन को अवगत करवाया की जिला शाखाओं में अपने स्तर पर उच्च न्यायालय में चल रहे केसों में जिला शाखाओं को अपना अधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार नहीं है जिला शाखाओं को अपना अधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए। जिसका माननीय मुख्यमंत्री एंव उप–प्रधान जी तथा सम्पूर्ण सदन द्वारा अनुमोदन कर दिया गया। **6. <u>हरियाणा रैड क्रास में की जाने वाली भर्तियों बारेः</u>** माननीय मुख्यमंत्री एवं उप प्रधान द्वारा रैडक्रास में की जाने वाली नियुक्तियों को पारदर्शी बनाने बारे कहा गया कि भर्तियों में लिखित परीक्षा का

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
		भी प्रावधाान किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री एवं उप-प्रधान ने यह भी कहा कि भविष्य में जो भी भर्तियां की जाए वह हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तर्ज पर कर ली जाए।
		7. <u>श्री डी0आर0 शर्मा, महासचिव, भारतीय रैड क्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा की महासचिव के पद पर नियुक्ति एंव एक्सटेंशन बारे:</u> सदन में माननीय मुख्यमंत्रे, हरियाणा एंव उप प्रधाान ने यह पूछा की महासचिव की नियुक्ति का क्या नियम है इस पर माननीय राज्यपाल की सचिव श्रीमती जी0अनुपमा, आई0ए0एस0 ने बताया की रैडक्रास के नियमानुसार महासचिव के पद की नियुक्ति सीधे तौर पर तीन वर्ष के लिए या पदोन्नति के तौर पर वरिष्ठता या मेरिट के आधाार पर की जा सकती है। श्री डी0आर0 शर्मा की नियुक्ति 3 वर्षो के लिए की गई थी जिसकी अवधाी 5 दिसम्बर 2019 को पूर्ण हो चुकी है। राज भवन कार्यालय से महासचिव को पत्र लिखा गया कि उनकी नियुक्ति 05.12.2019 को समाप्त हो गई है और नई नियुक्ति तक वह अपने पद पर बने रहेंगें और यह भी आदेश दिये गए की नई नियुक्ति के लिए कार्यवाही शुरू कर दी जाए। यह भी बताया की इन आदेशों की अनुपालना करने से पहले महासचिव ने इन आदेशों के विरूद्ध उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी तथा साथ-साथ माननीय राज्यपाल एंव अधयक्ष को अपना पक्ष रखा जिस पर माननीय राज्यपाल एंव अधयक्ष ने कोविड-19 में दी गई अभूतपूर्व सेवांओं के मददेनजर रखते हुए उनका कार्यकाल सेवानिवृति तक बढ़ा दिया गया और यह मामला प्रबंध समिति की बैठक में पुष्टि हेतू नहीं रखा गया। श्री डी0आर0शर्मा, महासचिव ने बताया उनकी नियुक्ति तीन वर्ष के लिए हुई थी जिसकी पुष्टि 20.01.2018 की प्रबंध समिति की बैठक में हो गई थी और उनकी नियुक्ति को बतौर महासचिव सेवानियमों के अनुसार स्थायी कर दिया गया था।

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
		23.05.2016 को पूर्व सचिव डा0 जी0पी0 तनेजा का कार्यकाल समाप्त हो रहा था । उन्होने कार्यकाल बढ़ाने के लिए आवेदन दिया जोकि 4 महीने के लिए बढ़ा दिया गया । जिसमें यह शर्त रखी गई कि इस दौरान यदि कोई नया महासचिव पद ग्रहण कर लेता है तो उनको कार्याकाल समाप्त कर दिया जायेगा । फिर बताया कि माननीय राज्यपाल ने मुझे उनके आदेश दिनांक 23.05.2016 जिला सचिवों में वरिष्ठतम तथा योग्य होने के नाते पूर्व महासचिव के साथ जोड़ दिया और मुझे आदेश दिये गये कि मैं पूर्व महासचिव के साथ सप्ताह में तीन दिन सोमवार से बुधवार तक कार्य करूॅगा और उनको वार्षिक मिटिंग और प्रबन्धन समिति की मिटिंग, जिला में चल रहे सभी कार्यक्रमों को सूचारू रूप देने में सहयोग करूॅगा । श्री डी0आर0 शर्मा, महासचिव ने बताया कि पूर्व सचिव डा0 जी0पी0तनेजा का कार्यकाल पूरा होने पर नया महासचिव आने तक मुझे माननीय राज्यपाल के आदेश दिनांक 07.11.2016 को वरिष्ठता एवम् योग्यता के आधार पर मुझे सप्ताह में तीन दिन (सोमवार से बुधवार) के लिए महासचिव का अतिरिक्त भार दिया गया । फिर माननीय राज्यपाल के आदेश दिनांक 05.12.2016 को मुझे सविधान के अनुसार वरिष्ठता एवम् योग्यता के आधार पर तीन साल के लिए महासचिव, भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा में नियुक्त कर लिया गया । जिसमें कि मुझे वही वेतनमान वही दिया गया जो मैं जिला सचिव के रूप में ले रहा था । श्री डी0आर0शर्मा, महासचिव ने फिर बताया कि 20.01.2018 को हरियाणाा रैडक्रास की प्रबन्धन समिति की बैठक हुई । जिसके एजेण्डा बिन्दु न0 5 में यह प्रस्ताव रखा गया कि श्री डी0आर0 शर्मा को वरिष्ठता जिला सचिव होने के नाते 06.12.2016 को महासचिव, भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा के पर नियुक्त किया गया था और यह प्रस्ताव रखा गया था कि सेवानियम 27.02.2017 के नोटिफाई हो चुके है और इनकी नियुक्ति वर्तमान सेवानियमों के अनुसार स्थायी (कनफर्म) कर दिया जाये और महासचिव के पद का वेतमान प्रदान कर दिया जायें । यह मामला पुष्टि एवं आदेश हेतु सदन में प्रस्तुत किया गया था ।

मद सं0	प्रस्ताव	समाधान
		सदन द्वारा सर्वसम्मति से उनकी पुष्टि कर दी गई तथा साथ ही 27.02.2017 के सेवानियमों के अनुसार (श्री डी0आर0 शर्मा, महासचिव की) की नियुक्ति को स्थायी (कनफर्म) कर दिया गया और उनको राज्य सचिव के वेतनमान प्रदान कर दिया गया । श्री डी0आर0शर्मा, महासिचव ने माननीय मुख्यमंत्री एवं उप-प्रधान को बताया कि उनकी प्रारम्भिक नियुक्त की पुष्टि तथा तत्पश्चात् उनको स्थायी (कनफर्म) करने के आदेश पहले 20.01. 2018 को बैठक में हो चुका है । इसके पश्चात् मेरी सेवा पुस्तिका के पेज न0 27 में भी राज्यपाल के सचिव ने 23.02.2018 अपने हस्ताक्षर कर दिये थे । इस बारे श्री डी0आर0शर्मा ने बताया कि मेरी नियुक्त के बारे में हरियाणा राजभवन से जो पत्र प्राप्त हुए थे । उन्होने इसका स्पष्टीकरण माननीय राज्यपाल एंव प्रधान को उपरोक्त तथ्य देकर आगामी आदेशों हेतु अवगत करवाया था । जिस पर माननीय राज्यपाल एंव प्रधान ने मेरे कार्यकाल के किए गए कार्यो की सराहना करते हुए मेरे कार्यकाल को सेवानिवृति तक बढ़ा दिया गया । विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि महासचिव की नियुक्ति बारे महाधिवक्ता, हरियाणा से कानूनी सलाह/मंत्रणा ली जाए।

माननीय मुख्यमन्त्री हरियाणा एवं उप–प्रधान, भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा ने सदन को अपना संदेश देते हुए कहा कि रैडक्रास पुरे विश्व में मानवता की सेवा के लिए विख्यात है तथा प्रत्येक स्तर पर रैडक्रास के लिए लोगों से स्वैच्छा से दान देने के लिए अपील होनी चाहिए। माननीय मुख्यमन्त्रि, हरियाणा एवं उप–प्रधान ने सभी उपायुक्त एवं प्रधान जिला रैडक्रास शाखाओं से अपील की कि जिला रैडक्रास शाखाओं के प्रधान होने के नाते उपायुक्त रैडक्रास के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए रैडक्रास की गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रचारित व प्रसारित करें।

माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष, भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा ने सदन को सम्बोधित करते हुए कहा कि पिछले दिनो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाअन के दौरान हरियाणा रैडक्रास सोसायटी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन ने समाजसेंवी एवं स्वंयसेवी संस्थाओ को एकजुट मानवता की सेवा की । लॉकडाअन के कारण रोगियों के लिए रक्त की भारी कमी महसूस की गई । माननीय प्रधन मंन्त्रिा जी के आहवान पर हरियाणा रैडक्रास सोसायटी ने 26,752 रक्त ईकाइयॉ एकत्रित कर पूरे देश मे प्रथम स्थान प्राप्त किया । माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष महोदय ने सदन को यह भी बताया कि गत दिनो लॉकडाअन के दौरान ही माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी से दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा हुई और राष्ट्रपति महोदय ने जो भी निर्देश

दिये थे उन पर आप सभी खरे उतरें हैं । इसके लिए माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष ने अपनी खुशी व्यक्त की तथा सदन के सभी सदस्यो को बधाई दी । उन्होने गर्व प्रकट करते हुए कहा कि कोरोना के समय मे हरियाणा सरकार व सदन के सभी सदस्यो द्वारा किये गये कार्यो को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है जिससे हम सबका मनोबल बढा है । माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष ने आशा प्रकट करते हुए कहा कि सदन के सभी सदस्य भविष्य मे भी इसी उत्साह के साथ जन–सेवा का कार्य करते रहेगे । उन्होने हरियाणा रैडक्रास सोसायटी के महासचिव श्री डी0आर0शर्मा तथा सोसायटी की पूरी टीम को बधाई दी ।

माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष, भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा ने प्रबंध समिति के सभी सदस्यो की बातो को बैठक मे अच्छी तरह सुना और समझा। माननीय मुख्यमन्त्री, हरियाणा एवं उप–प्रधान के आहवान पर माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष महोदय ने बैठक के सभी बिन्दुओ पर कारवाई करने का आश्वासन दिया ।

श्रीमति सुषमा गुप्ता, वाईस चेयरपर्सन, भारतीय रैडक्रास समिति, हरियाणा राज्य शाखा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक का समापन हुआ।

हस्ता/–
उपाध्यक्ष

हस्ता/–
महासचिव

हस्ता/–
माननीय राज्यपाल एवं अध्यक्ष
भारतीय रैडक्रास समिति
हरियाणा राज्य शाखा
चण्डीगढ